


वापस -155

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्यवाही टिप्पणी आदेश
14/10/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित,</p> <p>मूल पंजी II / जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। इस अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के संबंध में भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत पूर्व से वाद सं०..... 87..... के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित है। चूंकि एक ही मामले में दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> 14/10/2020 अंचल अधिकारी तोरपा।</p>	

## जमाबंदी वाद सं० :- 155

प्रश्नगत भूमि मौजा ..... नतीरखर ..... खाता सं० ..... 60 ..... प्लॉट सं० ..... 1034 .....  
रकबा ..... 0.50 ए० ..... से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि  
तथा पंजी II के पृष्ठ सं० ..... 5 ..... भोल्युम सं० ..... 139 ..... में रैयत ..... श्री लीधर .....  
के नाम पर दर्ज पाया गया।

उक्त जमाबंदी के विरुद्ध वाद सं० ..... 27 ..... के अन्तर्गत 4h की सुनवाई चल रही है। चूंकि एक ही मामले पर दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई उचित नहीं है। अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।



राजस्व कर्मचारी



अचल निरीक्षक